

Witness No **12** for **अभियोजन साक्षी** Deposition taken
the **03.12.2022** day of **शनिवार** Witness's apparent age **35 वर्ष**
States on affirmation **शपथ पूर्वक** my name is **महेश कुमार साहू**
S/of **स्व. श्री दूजेराम साहू** occupation **आरक्षक क0 2178**
address **चौकी सिलयारी, थाना धरसीवां, जिला रायपुर छ0ग0**

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मैं दिनांक 30.08.2019 को थाना खरोरा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था।
02. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन क0-578/2019, दिनांक 29.08.2019 में उल्लेखित जप्तशुदा वस्तुओं को मय ज्ञापन मेरे द्वारा राज्य न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में जमा किया गया था, उक्त कार्यवाही के लिए जारी कार्य प्रमाण पत्र एवं आमद प्रपी-18 है, जो दो पृष्ठ है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त सामग्री प्रदान करने के पश्चात् पावती राज्य न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा प्रदान की गई थी।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ए0 रहमान खान अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण

03. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा जो जप्तशुदा वस्तुएं अपने मुख्य परीक्षण में बताई गई है वह मेरे समक्ष पुलिस द्वारा जप्ती नहीं की गई है। यह कहना सही है कि मुझे पैकेट दे दिया गया था उसके अंदर क्या था मैं नहीं बता सकता।

समय – 12:00 से 12:15 तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही /—

श्रीकान्त श्रीवास
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

सही /—

श्रीकान्त श्रीवास
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर